

सं. 16/5/2017-रा0भा0(सेवा)
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-II (नई दिल्ली सिटी सेंटर) भवन,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001,

दिनांक: 25 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सहायक निदेशकों (रा.भा.) की संयुक्त सचिव (रा.भा.) की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2017, 24.08.2017 एवं 28.08.2017 को हुई बैठकों का कार्यवृत्त ।

संयुक्त सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में कार्यरत सहायक निदेशकों (रा.भा.) की शासकीय कामकाज में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के लिए दिनांक 22.08.2017, 24.08.2017 एवं 28.08.2017 को एन.डी.सी.सी. बिल्डिंग-II, नई दिल्ली में बैठकें आयोजित की गईं । उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

संलग्न: यथोक्त ।


(यशपाल देवगन)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23438150

1. बैठक में उपस्थित समस्त सहायक निदेशक (रा.भा.) (सूची संलग्न है) ।
2. केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव ।
3. श्री केवल कृष्ण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी से अनुरोध है कि कृपया इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव (राभा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
2. संयुक्त सचिव के निजी सचिव ।

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सहायक निदेशकों की संयुक्त सचिव (रा.भा.) की अध्यक्षता में दिनांक

22.08.2017, 24.08.2017 एवं 28.08.2017 को सांय: 03.00 बजे हुई बैठक का कार्यवृत्त

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सहायक निदेशकों की संयुक्त सचिव (रा.भा.) की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2017, 24.08.2017 एवं 28.08.2017 को सांय: 03.00 बजे तीन बैठके हुई।

2. सभी बैठकों की शुरुआत बैठक में आमंत्रित सभी सहायक निदेशकों के परिचय से हुई। इसके बाद संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने बैठक में भाग लेने आये सभी अधिकारियों का आभार प्रकट किया। संयुक्त सचिव (रा.भा.) ने बैठक को बुलाये जाने का उद्देश्य बताया एवं बताया कि यह बैठक इस बात पर विचार विमर्श के लिए बुलाई गई है कि आपके विभागों में हिंदी की क्या प्रगति हुई है, क्या समस्या है और समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या किया जा सकता है। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची अनुलग्नक-1 पर है।

3. तदुपरांत संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने बताया कि केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारी अलग-अलग समूहों में व्यक्तिगत रूप से मिलने आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। अतः राजभाषा विभाग ने सबको आमंत्रित किया है ताकि एक साथ उन समस्याओं पर विचार किया जा सके जो केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के समक्ष आती हैं।

4. संयुक्त सचिव (रा.भा.) ने बताया कि संवर्ग की स्थिति नहीं है और इसकी सबसे बड़ी समस्या पूर्व में दी गई तदर्थ पदोन्नति है। राजभाषा विभाग द्वारा सहायक निदेशकों की उप निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु एक बारगी छूट के लिए प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अनुवादक एवं कनिष्ठ अनुवादक के पद राजभाषा विभाग भर रहा हैं। राजभाषा विभाग अभी 39 सहायक निदेशक बना रहा है इसके अलावा 103 कनिष्ठ अनुवादकों के लिए प्रस्ताव कर्मचारी चयन आयाग को भेजा जा चुका है जिसकी परीक्षा भी हो गई है। उन्होंने बताया कि विदेशों में भी नराकासो का गठन किया जा रहा हैं। संयुक्त सचिव महोदय ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपनी वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट समय पर भिजवा दे जिससे की पदोन्नति के समय प्रस्ताव भेजने में देरी ना हो।

5. संयुक्त सचिव (रा.भा.) ने बताया कि राजभाषा विभाग मिमोरी बेस टूल्स सी-डैक से बनवा रहा है, जिसके लिए कम्प्यूटर चलाना जानना अति आवश्यक है। अतः जिन्हें कम्प्यूटर चलाना नहीं आता है, उन्हें 3 महीने के अन्दर हिन्दी टाइपिंग व कम्प्यूटर सीखना होगा, इसके लिए एक आदेश भी राजभाषा विभाग जारी कर रहा हैं। इसके अलावा विभाग एक बृहदशब्दकोश भी तैयार कर रहा है। सभी सहायक निदेशक अपने मंत्रालय/विभाग में शब्दावली बनाए और उसे केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को भेज दीजिए, हम उसको यथोचित शब्दकोश में समाहित करेंगे। मशीनी अनुवाद से अनुवाद मशीन में कैद हो जाएगा और आप आजाद हो जाएंगे और आपको कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।

6. इसके बाद उप सचिव (सेवा) ने केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के बारे में एक प्रस्तुतीकरण किया। उप सचिव (सेवा) ने केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के रिक्त पदों के बारे में जानकारी दी एवं राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के पदोन्नति के संबंध में किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराया।
7. तदुपरान्त निदेशक (तकनीकी) ने मेमोरी बेस्ड टूल्स के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण किया और कहा कि अनुवाद कार्य के लिए एक साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है लेकिन इस साफ्टवेयर के लिए कम्प्यूटर ज्ञान और इंटरनेट ज्ञान जरूरी है। निदेशक (तकनीकी) ने बताया कि अनुवाद कार्य इस साफ्टवेयर के माध्यम से किया जा सकता है जिससे कि हिन्दी कार्यान्वयन के कार्य के लिए समय मिल जाएगा। निदेशक (तकनीकी) ने बताया कि जिन मंत्रालयों/विभागों में यह सुविधा नहीं हो, आप अपने मंत्रालय/विभागों से इन मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध कर सकते हो।
8. निदेशक (एनआईसी) ने एक प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत की। निदेशक (एनआईसी) ने बताया कि किस तरह से केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारी / कर्मचारी अपना सेवा संबन्धित डाटा राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अद्यतन कर सकते हैं। इसके बाद निदेशक (एनआईसी) ने राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध विभिन्न ई टूल्स के बारे में जानकारी दी। निदेशक (एनआईसी) ने अवगत करवाया कि गुगल ट्रांसलेट एप से आप अनुवादक कार्य कर सकते हैं।
9. अनुपमा परमार, सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा कि सीएसएस में एक सहायक 26 साल में निदेशक बन जाता है लेकिन हमारे संवर्ग में ऐसा नहीं है यहां पदोन्नति बहुत देर से होती है।
10. आस्था जैन, सहायक निदेशक, इस्पात मंत्रालय ने अपनी वरीयता के संबंध में संयुक्त सचिव को अवगत करवाया।
11. दिलीप निगम, सहायक निदेशक, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि एमएसीपी हैरारकी के अनुसार दी जानी चाहिए। इसमें मंत्रालय भेदभाव करते हैं। संवर्ग में रु0 4800 ग्रेड पे नहीं है तब भी रु0 4800 दे रहे है। श्री निगम ने सहायक निदेशकों की वरीयता सूची जारी करने के संबंध में अनुरोध किया।

12. राज कुमार शर्मा, वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद ने कहा कि इस कार्यालय के लगभग 110 अधीनस्थ कार्यालय हैं और संसदीय राजभाषा समिति प्रतिवर्ष 3-4 निरीक्षण करती है, इन निरीक्षणों को कम करने का अनुरोध किया।

13. संयुक्त सचिव (रा.भा.) ने बताया कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट को बहुत व्यवहारिक एवं साधारण कर दिया गया है। संयुक्त सचिव (रा.भा.) ने बताया कि संसदीय राजभाषा समिति एक स्वतंत्र विभाग है और हम उसकी बैठकें कम नहीं कर सकते। संयुक्त सचिव (रा.भा.) ने आश्वासन दिया कि वरीयता सूची से संबंधित सभी विसंगतियां 15 दिन में दूर कर सूची तैयार कर ली जाएगी।

14. सचिव महोदय ने बैठक में आये अधिकारियों से पूछा कि कितने अधिकारियों को कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं है और वे मैन्यूअल ही कार्य करते हैं। सचिव महोदय ने जिन अधिकारियों को कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं है उनको केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। सचिव महोदय ने कहा कि आप अपने स्तर पर राजभाषा शब्दावली बनाए जिसमें आम बोल चाल की भाषा प्रयोग में लाए। इसे वेबसाइट पर अपलोड भी करे और दूसरी प्रति केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को भेजे। सचिव महोदय ने बताया कि राजभाषा विभाग कई ई टूल ला रहा है। सचिव महोदय ने कहा कि हम एक वृहत राजभाषा शब्दावली तैयार कर रहे हैं, जिसमें एक शब्द के कई पर्यायवाची शब्द उपलब्ध होंगे और जो शब्द आपको उपयुक्त लगे आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। उन्होंने बताया कि महाशब्दकोश 5-6 महीने में लांच करने की योजना है। इसके अलावा लीला स्वयं शिक्षण पर भी मोबाइल एप लाया जा रहा है।

15. सचिव महोदय ने कहा कि इस बार हम 14 सितम्बर, 2017 को हिन्दी दिवस विज्ञान भवन में आयोजित कर रहे हैं, आप लोगों के अलावा सभी वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों को भी आमंत्रित कर रहे हैं, आप अनिवार्य रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। पिछली बार राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने के कारण हम आप लोगों को नहीं बुला सके थे। हिन्दी टाइपिंग के बारे में हम आप लोगों को 3 माह का समय दे रहे हैं। इसके बाद राजभाषा विभाग की एक टीम बनाई जाएगी जो जांच करेगी कि कहां तक कामयाबी मिली है। जहां तक स्टाफ देने का मामला है अधिकारी हम 1 या 2 दे पा रहे हैं लेकिन वरिष्ठ अनुवादक/कनिष्ठ अनुवादक हम अधिकांशतः दे रहे हैं।

16. सचिव (रा.भा.) ने कहा कि एक बारगी छूट हेतु प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजा जा चुका है। रिक्त पदों के कारण संवर्ग ध्वस्त हो रहा है साथ ही यह भी कहा कि अभी भी सहायक निदेशक

ज्यादातर कागज पर काम कर रहे हैं। कम्प्यूटर पर काम नहीं कर रहे है। जमाना चला गया है कि पहले कागजी काम करें फिर उसे टाइप करवाएं। जब टाइपिस्ट नहीं है, फिर सीधा काम कम्प्यूटर पर क्यों नहीं करते। कम्प्यूटर पर काम करिए। हिन्दी टाइपिंग कितने लोग जानते हैं, राजभाषा विभाग ने एक प्रोफार्मा भेजा था उसका जवाब नहीं आया। सचिव (रा.भा.) न सभी सहायक निदेशकों को कम्प्यूटर पर हिन्दी टाइपिंग सीखने के आदेश दिए और कहा कि यह मानक आधार के अनुरूप होना चाहिए और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट गती होनी चाहिए। टाइपिंग सीखना अतिआवश्यक है। इसके अलावा आप अपने यहां वरिष्ठ अनुवादक/ कनिष्ठ अनुवादक को भी हिन्दी टाइपिंग करने का आदेश दें।

17. सचिव महोदय (रा.भा.) ने कहा कि विभाग रिक्त पदों को भरने की पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु डाटा भरने का है, उसे खुद भरने में कोई लापरवाही नहीं बरती जाय। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या कमियां हैं कि हम मूलतः हिन्दी में काम नहीं कर पा रहे हैं। आपका क्या योगदान हो सकता है, इस पर सामुहिक विचार करे। मंत्रालय/विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए कैसे प्रेरित करे, इस बात पर विभागीय कार्य संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। मंत्रालय/विभागों में सचिव सहित संयुक्त सचिव व नीचे के कर्मियों/अधिकारियों को हिन्दी में काम करने को प्रेरित करें। जो सहायक निदेशक हिन्दी को बढ़ाया देने में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, वह इस संवर्ग को बल होगा। आप हिन्दी के काम को आगे बढ़ाएँ, अग्रदूत बनिए, और उदाहरण बनें।

18. इसके साथ ही अवर सचिव (सेवा) द्वारा सभी उपस्थित सहायक निदेशकों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सहायक निदेशकों की संयुक्त सचिव (रा.भा.) की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2017, 24.08.2017 और 28.08.2017 की बैठकों में उपस्थित सहायक निदेशकों (रा.भा.) की सूची

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम सुश्री/श्री | वर्तमान तैनाती |
|---------|----------------------------|--|
| 1 | भीम सिंह | विद्युत मंत्रालय |
| 2 | वेद प्रकाश मीना | राजभाषा विभाग |
| 3 | दिलीप कुमार निगम | सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय |
| 4 | कुलदीप सिंह गुर्वा | संघ लोक सेवा आयोग |
| 5 | राजन | रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय |
| 6 | अनुपमा परमार | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
| 7 | अर्चना रांगड़ा | अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय |
| 8 | वीर विक्रम जीत | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय |
| 9 | आस्था जैन | इस्पात मंत्रालय |
| 10 | शिशिर शर्मा | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण |
| 11 | कमलेश कुमार सिंह | संघ लोक सेवा आयोग |
| 12 | राकेश कुमार | पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय |
| 13 | सूरज प्रकाश बड़गूजर | कृषि एवं मूल्य लागत आयोग |
| 14 | बिनोद कुमार | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय |
| 15 | सत्यमूर्ति नागेश | विद्युत मंत्रालय |
| 16 | नंदन सिंह दुग्ताल | लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी,, मसूरी |
| 17 | जगदीश प्रसाद मीणा | प्रर्वतन महानिदेशालय |
| 18 | कुमर पाल सिंह | सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय |
| 19 | देवेन्द्र पाल | वित्तीय सेवाएं विभाग |
| 20 | जीवन लाल | उच्चतर शिक्षा विभाग |
| 21 | सविता सिंह | अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय |
| 22 | राजेश्वर कुमार | राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग |
| 23 | वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव | गृह मंत्रालय |
| 24 | कौशल कुमार माहौर | ग्रामीण विकास विभाग |
| 25 | मांगे राम | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग |
| 26 | विजय कुमार | सम्पदा निदेशालय |

| | | |
|----|-------------------------|--|
| 27 | सल्लू राम | नागर विमानन महानिदेशालय |
| 28 | सुनीता सिंह | ग्रामीण विकास विभाग |
| 29 | सरिता कंवर | व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) |
| 30 | किरण धिलडियाल | स्वापक नियंत्रण ब्यूरो |
| 31 | नेत्र सिंह असवाल | विधि कार्य विभाग |
| 32 | सतीश कुमार तुली | स्वास्थ्य महानिदेशालय |
| 33 | डॉ० ज्ञान चंद | दूर संचार विभाग |
| 34 | बीर भोज | राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो |
| 35 | शोभना तनेजा | प्रकाशन विभाग |
| 36 | संजय सिंह | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग |
| 37 | चन्द्र प्रकाश बुधलाकोटी | प्रधान मंत्री कार्यालय |
| 38 | ओम प्रकाश त्रिपाठी | कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग |
| 39 | शिव दर्शन कोरी | जनजातीय कार्य मंत्रालय |
| 40 | जितेन्द्र कुमार आर्य | उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय |
| 41 | निकोलस खालको | आर्थिक कार्य विभाग |
| 42 | मार्था बिहान | रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग |
| 43 | किरण जोशी चौहान | औषध विभाग |
| 44 | डा. पूरन सिंह | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग |
| 45 | रजिन्दर पॉल | केंद्रीय जल आयोग |
| 46 | संजय पाटिल | राष्ट्रीय अभिलेखागार |
| 47 | अरूण कुमार विद्यार्थी | विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय |
| 48 | रणवीर सिंह | रक्षा मंत्रालय |
| 49 | विजय नागपाल | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग |
| 50 | सीमा चावला | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय |
| 51 | वीना सत्यवादी | जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय |
| 52 | प्रेम लता नारंग | संगणक केंद्र |
| 54 | राजेश कुमार श्रीवास्तव | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग |
| 55 | भास्कर कुमार मिश्रा | वाणिज्य विभाग |
| 56 | नमिता श्रीवास्तव | केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महानिदेशालय |
| 57 | बीरेन्द्र सिंह रावत | खान मंत्रालय |
| 58 | इफ्तेखार अहमद | नीति आयोग |
| 59 | अरूणा वोहरा | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
| 60 | के.सी. भट्ट | आयुष विभाग |

| | | |
|----|--------------------|--|
| 61 | वीना शर्मा | पर्यावरणलयवन और जलवायु परिवर्तन मंत्रा , |
| 62 | जगमोहन सिंह नेगी | राजस्व विभाग |
| 63 | जय सिंह | प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग |
| 64 | शशि लता | पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय |
| 65 | मंजीत कमल | न्याय विभाग |
| 66 | आनंद भोई | केंद्रीय लोक निर्माण विभागकोलकाता , |
| 67 | पुष्पलता कुमारी | कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत विभाग |
| 68 | शोभना श्रीवास्तव | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय |
| 69 | उमेश प्रसाद उदय | गृह मंत्रालय |
| 70 | सतीश कुमार गुप्ता | भूमि संसाधन विभाग |
| 71 | मुस्तफा हुसैन | पशुपालन पालन विभागडेयरी और मत्स्य , |
| 72 | नवीन कुमार बोहरा | प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग |
| 73 | मुक्ता अग्रवाल | पत्र सूचना कार्यालय |
| 74 | महेश कुमार | बायो टेक्नॉलोजी विभाग |
| 75 | राज कुमार शर्मा | वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद |
| 76 | मनोज कुमार सिन्हा | संस्कृति मंत्रालय |
| 77 | भूपेन्द्र नाथ गोयल | विदेश मंत्रालय |
| 78 | मोअरशद हुसैन . | विदेश मंत्रालय |
| 79 | नरेश कुमार | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय |
| 80 | राम बाबू त्रिपाठी | गृह मंत्रालय |
| 81 | सुरेश धर दुवे | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय |
| 82 | राजेन्द्र सिंह | नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय |
| 83 | उमा शंकर शर्मा | गृह मंत्रालय |
| 84 | चित्रा लेखा | गृह मंत्रालय |
| 85 | मनीषी मधुकर | मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय |
| 86 | सुभाष चंद्र अवस्थी | आर्थिक कार्य विभाग |
| 87 | अरूण कुमार नायक | खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग |
| 88 | रमन कुमार वर्मा | विदेश व्यापार महानिदेशालय |
| 90 | श्रद्धा माथुर | जल संसाधन मंत्रालय |
| 91 | सुधीर कुमार | उद्योग मंत्रालय |
| 92 | फूल कंवर | युवा कार्य और खेल विभाग |
| 93 | सतीश कुमार सिंह | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय |
| 94 | चन्द्र सिंह | पंचायती राज मंत्रालय |

| | | |
|-----|------------------------|---|
| 95 | नरेंद्र नाथ त्रिपाठी | रक्षा विभाग (वित्त) |
| 96 | श्याम कुमार सिंह | केंद्रीय लोक निर्माण विभागगाजियाबाद, |
| 97 | सैय्यद मोसादिक. | भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय |
| 98 | अरूणेश कुलश्रेष्ठ | भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय |
| 99 | देवी प्रसाद मिश्रा | उर्वरक विभाग |
| 100 | राजीव कुमार | वित्तीय सेवाएं |
| 101 | महेश कुमार पांडे | विदेश मंत्रालय |
| 102 | महामाया प्रसाद सिंह | लोक उद्यम विभाग |
| 103 | अनिता अनुराग | भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण |
| 104 | मुकेश कुमार | नागर विमानन सुरक्षा महानिदेशालय |
| 105 | शशी कांत सिंह | राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय |
| 106 | केदार नाथ कर्ण | केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कोलकाता |
| 107 | पूर्णिमा राव | महिला एवं बाल विकास विभाग |
| 108 | रणबीर सिंह | मंत्रिमण्डल सचिवालय |
| 109 | सुभाष चंद्र | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय |
| 110 | कमला कांत मिश्रा | व्यय विभाग |
| 111 | झार खंडे सिंह | आसूचना ब्यूरो |
| 112 | नमिता श्रीवास्तव | केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली |
| 113 | सुरेश चन्द्र चतुर्वेदी | शहरी विकास मंत्रालय |
| 114 | संतोष कुमार मिश्र | आर्थिक कार्य विभाग |
| 115 | सुश्री अंशु गप्ता | आकाशवाणी महानिदेशालय |
| 116 | चौद किरण वेदी | कोयला मंत्रालय |
| 117 | संजय कुमार | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय |
| 118 | राजीव माथुर | कारपोरेट कार्य मंत्रालय |
| 119 | विनोद सुखराम कोहरे | नौवहन महानिदेशालय, मुम्बई |